न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी– वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 100/15
(जीसीएमएस संख्या 2015/00282)

निर्णय दिनांकः 4-12-2023

1. मु. जेठी पत्नि श्री हड़मानराम
2. श्री ख्यालीराम
3. मु. शारदा
पिसरान श्री हड़मानराम जाति जाट निवासी अक्खासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. श्रीमती कमल कंवर पत्नि श्री इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी चक 1 आरएम तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 23–09–1996
सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत

उपस्थितिः–
1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत के आदेश दिनांक 23–09–1996 जिसके द्वारा अपीलांट के मुरब्बे में स्थिति स्मालपेच की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 1 आरएम के मुरब्बा नम्बर 152/54 के किला नम्बर 1 ता 17 तादादी 17 बीघा भूमि निहित है। इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि चक 1 आरएम के मुरब्बा नम्बर 152/47 में 25 बीघा भूमि निहित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट् के मुरब्बा नम्बर 152/54 में निहित किला नम्बर 13 ता 25 तादादी 8 बीघा भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कर दिया गया। जबकि उक्त भूमि अपीलांट के ही कब्जे काश्त में चली आ रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि मुरब्बा नम्बर 152/54 में स्थित नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर स्माल पेच किया गया है। जबकि अपीलांट की भूमि चक 1 आरएम के मुरब्बा नम्बर 152/54 में खातेदारी भूमि स्थित है। इसी मुरब्बें में किला नम्बर 13 ता 25 की 8 बीघा आराजीराज भूमि स्मालपेच आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि थी जिसके आवंटन का प्रथम अधिकार अपीलांट का बनता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलांट् के मुरब्बें में निहित आराजी राज भूमि के स्मालपेच आवंटन के लिए आवंटन अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट अंकित की गई। जिसमें अपीलांट/रेस्पोडेन्ट के अतिरिक्त काश्तकारों की वरियता कायम की गई।

उन्होंने आगे बताया कि जब वादगत् भूमि मुरब्बा नम्बर 169/32 में अपीलांट की खातेदरी भूमि स्थित है ऐसी स्थिति में इसी मुरब्बें के किला 13 ता 25 की 08 बीघा भूमि स्मालपेच आवंटन हेतु अपीलांट की प्रथम वरियता बनती है रेस्पोडेन्ट की ना तो वादगत् मुरब्बें में कोई भूमि निहित है व ना ही उनकी कोई वरियता बनती है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकि स्मालपेच आवंटन नियमों में उसी मुरब्बे में निहित भूमि–धारकों को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराधात किया गया है। स्मालपेच आवंटन नियमों के जिसकी वरियता प्रथम बनती है उसे ही नियमानुसार आवंटन किया जाना चाहिए। चूंकि वादगत् मुरब्बें में अपीलांट की पूर्व

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

में ही भूमि निहित है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के आवंटन का प्रथम अधिकार अपीलांट का बनता है रेस्पोडेन्ट की वादगत् भूमि में कोई वरियता नहीं बनती है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन स्मालपेच आवंटन नियमों के विपरीत होन से प्रारम्भ से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट व अन्य काश्तकारों को नोटिस दिये बिना आदेश जैर अपील एकतरफा पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्व जाकर जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रकिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट्स को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया स्मालपेच आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी सर्वप्रथम तब हुई जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर आवागमन हेतु एक प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें नोटिस अपीलांट को जारी किये गये। तब अपीलांट द्वारा अधिवक्ता नियुक्त करते हुए अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति जिला कलेक्टर अभिलेखागार प्राप्त करते हुए बिना किसी देरी के जानकारी के दिन से अन्दर मियांद अपील प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने विधि विरूद्व आदेश को लम्बे समय तक छिपाये रखा है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वादग्रस्त भूमि के स्मालपेच में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने के फलस्वरूप सभी संबंधित पात्र काश्तकारों की वरियता बनाई गई। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अन्य कोई आवेदन पत्र जैरकार नहीं होने पर अदालत मातहत द्वारा राजस्थान उपनिवेशन आवंटन नियम 1975 के नियम 14 के तहत वादगत् भूमि का आवंटन बतौर स्मालपेच किया गया है। वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता की तहसीलदार द्वारा अनुशंसा की गई है व रकबा अन्य किसी प्रकार से विवादित नहीं होने व स्थगन आदेश नहीं होने की टिप्पणी भी अपनी रिपोर्ट में अंकित की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या के धारण की भूमि वादगत् भूमि के बिल्कुल चिपते हुए है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि वादगत् भूमि के चिपते होने के कारण रेस्पोडेन्ट की वरियता प्रथम मानते हुए व केवल मात्र उन्हीं का आवेदन होने के कारण वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा तमाम राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज हो चुका है एवं पानी की बारी/पर्ची भी रेस्पोडेन्ट के नाम से बनती चली आ रही है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के आवंटन की तमाम कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। लिहाजा अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23—09—1996 से विरूद्व अपील दिनांक 31—03—2010 को पेश की गई है। जोकि आदेश जैर अपील पारित होने के करीब 14 वर्ष उपरान्त प्रस्तुत की गई है अतः अपीलांट द्वारा अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन पश्चात् निर्धारित तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किया गया आवंटन विधि सम्मत है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में अपीलांट को आवंटित भूमि से सटकर रेस्पोडेन्ट को स्मालपेच भूमि दिनांक 23–09–1996 को आवंटित हो चुकी थी तथा आवंटन को वर्षो पूर्व राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जा चुका था। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित पटवारी द्वारा रिपोर्ट अंकित की गई, जिसमें स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि चक 1 आरएम के मुरब्बा नम्बर 152/54 के किला नम्बर 13 ता 25 तादादी 08 बीघा रकबा खाली पड़ा है, तथा सभी चिपते काश्तकारों को नियमानुसार नोटिस जारी करने के उपरान्त भी वे आराजी जैर के स्मालपेच आवंटन हेतु न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये है, उक्त रिपोर्ट से यह तथ्य साबित है कि अपीलांट वादग्रस्त भूमि के आवंटन/अधिकारों को लेकर सावचेत नहीं रहा है। विवादित भूमि अपीलांट के मुरब्बें में निहित होने के कारण आवंटन नियमों के तहत प्रथम अधिकार अपीलांट का बनता था, परन्तु अपीलांट द्वारा उक्त भूमि के आवंटन हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं करने व पड़ौसी मुरब्बें के अन्य खातेदार द्वारा आवेदन कर देने पर 16 साल पूर्व भूमि का आवंटन हो चुका था। आवंटी द्वारा आवंटन के बाद से भूमि का उपयोग किया जा रहा है। इतनी लम्बी अवधि बाद केवल तकनीकी आधार पर आवंटन को चुनौती देने का औचित्य नहीं है।

प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–09–1996 के विरूद्व अपील दिनांक 31–03–2010 को 16 वर्ष विलम्ब से पेश की है। अपीलांट का कथन है कि रेस्पोडेन्ट को आवंटित किला नम्बर 13 ता 25 की पहली बार रेस्पोडेन्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु पटवारी हल्जा के पास गया तब उसे आवंटन की जानकारी हुई कि रेस्पोडेन्ट ने उक्त स्मालपेच दिनांक 23–09–1996 को ही आवंटन करवा लिया था तो संभव है कि वर्ष 1996 के दौरान ही कब्जा भी लिया होगा। इस दौरान अपीलांट ने कभी भी उक्त रकबे के आवंटन एवं कब्जे के लिये

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जानकारी नहीं ली। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट सन् 2010 तक उक्त स्माल पेच भूमि के बारे में कोई रूचि नहीं रखता था तथा अन्य को आवंटित होने के 16 वर्ष बाद उसे अचानक उक्त आवंटन आदेश की अपील करने का विचार उसके दिमाग में आया। अपीलांट द्वारा 16 वर्ष के विलम्ब के लिये बताया गया कारण संतोषजनक नहीं है तथा विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्ट के अधिकार स्थापित हो चुके है। अतः अपील मियांद बाहर होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उक्त विवेचना के प्रकाश में अपीलांट् की अपील मियांद बाहर व सारहीन पाये जाने पर खारिज की जाती है तथा सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–09–1996 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 4/12/23 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर